# न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी—पीयुष सामारिया
आई०ए०एस०

प्रा0 पत्र सं0 15/2010 आवंटन नियम 14(4)

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दौसा जिला दौसा

..प्रार्थी

बनाम

काना पुत्र काल्या कौम मीना नि0 जयसिंहपुरा तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान (फोत)

1.1 गोपाल पुत्र काना
1.2 रामरतन पुत्र काना
1.3 कजोडी पुत्री काना
1.4 राजन्ती पुत्री काना
1.5 भोती पुत्री काना
1.6 लल्ली पुत्री काना
1.7 रामोतार पुत्र रामपति पुत्री काना
1.8 हनुमान पुत्र रामपति पुत्री काना
1.9 मदन पुत्र रामपति पुत्री काना
1.10 गिर्राज पुत्र रामपति पुत्री काना
1.11 संतोष पुत्र रामपति पुत्री काना
1.12 बच्ची पुत्री रामपति पुत्री काना
1.13 मोजन्ता पुत्री रामपति पुत्री काना
1.14 छोटी पुत्री रामपति पुत्री काना

समस्त कौम मीना कौम मीना नि0 जयसिंहपुरा तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राजस्थान

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970

उपस्थित—1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
2. श्री राम लाल गोठवाल अप्रार्थी सं. 1.1 लगा01.2 की ओर से।

<u>निर्णय</u> दिनांकः 22.12.2021

संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति मुकाम श्यालावास द्वारा दिनांक 30.06.1999 को ग्राम जयसिंहपुरा तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान के आ0ख0नं0 583 रकबा 0.25 है0 भूमि का आवंटन अप्रार्थी काना पुत्र काल्या (फोत) को किया गया। अप्रार्थी द्वारा आवण्टन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण तहसीलदार, दौसा द्वारा यह प्रार्थना पत्र 14 (4) भू–आवण्टन नियम–1970 के तहत इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।

राजकीय अधिवक्ता की बहस में दलील है कि आवंटन सलाहकार समिति मुकाम श्यालावास द्वारा अप्रार्थी काना पुत्र काल्या जाति मीना(फोत) निवासी जयसिंहपुरा को दिनांक 30. 061999 को ग्राम जयसिंहपुरा तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान के आ0ख0नं0 583 रकबा 0.25 है0 भूमि का आवंटन किया गया था किन्तु आवंटी द्वारा आवण्टित भूमि पर आवंटन

की शर्तो की पालना नहीं की गई। मौके पर भूमि खाली (पडत) पडी हुई हैं। भूमि आज तक भी गैर खातेदारी दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी/भू अभिलेख निरीक्षक के आवंटी/गैर खातेदार ने उक्त आवंटित की गई भूमि पर कब्जा काश्त नहीं की जाकर भूमि उपयोग में नहीं ली गई है। आवंटी द्वारा आवंटन की शर्तों की पालना नहीं की गई है। अतः आवंटन की शर्तो की पालना नहीं होने के कारण आवंटन निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त फरमावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1.1 व 1.2 को बार-2 आवाज दिलवाई गई। अधिवक्ता अप्राथी अथवा अप्रार्थीगण अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। शेष अप्राथीगण भी बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध भी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

हमने राजकीय अधिवक्ता की एकतरफा बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ठ होता है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अप्रार्थी काना पुत्र काल्या (फोत) को दिनांक 30.6.1999 को ग्राम जयसिंहपुरा स्थित भूमि खसरा नंबर 583 में से 0.25है0 भूमि आवंटित की गई थी। भूमि आज दिनांक तक गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में संलग्न खसरा गिरदावरी संवत 2064 से 2065 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत भूमि बंजड पडी हुई है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की गई है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं करने से आवंटन का प्रयोजन ही समाप्त हो जाता है। अतः आवंटन सलाहकार समिति मुकाम हापावास द्वारा दिनांक 30.6.1999 को अप्रार्थी काना पुत्र काल्या जाति मीना(फोत) को आवंटित की गई भूमि पर आवंटन शर्तों की पालना नही करने से उक्त आवंटन निरस्त किया जाना हम उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार, दौसा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति मुकाम श्यालावास की बैठक दिनांक 30.6.1999 द्वारा ग्राम सर में अप्रार्थी काना पुत्र काल्या मीना (फोत) के पक्ष में किया गया प्रश्नगत आवंटन निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार (भूमिधारी) नांगल राजावतान को एवं निर्णय की एक प्रति तहसीलदार दौसा को प्रेषित की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर,दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांकः 22 दिसंबर 2021 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा